**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांकः- 202861 पटना, दिनांकः- 24/09/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(Mon.)-102-30/2013

प्रेषक,

**एस0 एम0 राजू,**
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

**उप विकास आयुक्त,**
सीतामढ़ी ।

**विषयः-** **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1236 दिनांक-08.09.14

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा संविदा आधारित रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने हेतु कट ऑफ मार्कस को शिथिल करने संबंधी मांगे गये मार्गदर्शन के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्र संख्या-178601 दिनांक-24.02.14 द्वारा जिला से संबंधित विभिन्न पदों के लिए प्राप्त हुए अभ्यर्थियों का डाटा का लिंक देते हुए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया गया था कि जिला पदाधिकारी इस डाटा से जिले की आवश्यकता के अनुरूप Final List of Short listed Candidates के बाद के अभ्यर्थियों को भी मेधा क्रम में Counselling/Document Verification के लिए आमंत्रित कर सकते हैं । Counselling/Document Verification के उपरांत Document Scan कराकर, अपलोड कराकर जिले के विभिन्न पदों हेतु स्वीकृत संख्या के अनुरूप Final Select List एवं उतनी ही संख्या में Final Wait List बनानी है । यह भी स्पष्ट किया गया था कि आवश्यकतानुसार मेधा क्रम में Final List of Shortlisted Candidates (स्वीकृत पदों के 4 गुणा संख्या) के नीचे भी जाया जा सकता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि मेधा सूची के निर्माण में कोई कट ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं है अर्थात रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यकतानुसार अभ्यर्थियों के प्रतीक्षा सूची से मेधा क्रम में चयन प्रक्रिया एवं आरक्षण बिन्दु का पालन करते हुए नियोजन की कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

विदित है कि आरक्षण रोस्टर का संधारण जिला स्तर पर किया गया है अतः आरक्षण रोस्टर के अनुपालन के संबंध में कोई भी निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाना होगा ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.08.14 को उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया था कि यदि किसी जिला में प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता है तो मनरेगा में नियोजन की तरह मास्टर लिस्ट (जो सभी जिलों को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है) में मेधा क्रम एवं आरक्षण रोस्टर के दृष्टिपथ तब तक नीचे जाए जब तक सभी पदों पर सभी कोटि के पद भर नहीं लिये जाए ।

E:\D Drive\Mukesh\IAY 11D1.doc

विभागीय पत्रांक-201158 दिनांक-12.09.14 द्वारा हर-हाल में दिनांक 30.09.14 तक जिला के लिए कर्णांकित पदों के अनुरूप नियोजन की कार्रवाई पूर्ण कर सभी नियोजित कार्मिकों का विवरण अपलोड कर इसकी हार्डकॉपी उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जा चुका है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियोजन की कार्रवाई पूर्ण कर लिया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव 24/9/14

ज्ञापांक:- 202861 पटना, दिनांक:- 24/09/14

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
24/9/14